–:: न्यायालय कलेक्टर, जिला रतलाम (म0प्र0) ::–

प्रकरण कमाक 0018/अ–20(3)/2021–22

:: आदेश ::

(दिनांक 23.09.2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 401/सा/विविध/045/2021/687 भोपाल, दिनांक 13.08.2021 द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, उज्जैन की मांग अनुसार ग्राम शेरपुर, पटवारी हल्का शेरपुरा, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर शासकीय भूमि (घास बीड़) में से रतलाम जिले के रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग (लंबाई 48.26 कि.मी) एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) के निर्माण में आने वाली वन भूमि के बदले ग्राम शेरपुर तहसील पिपलौदा की भूमि खसरा कंमाक 858 रकबा क्रमशः कुल भूमि 4.977 हेक्टर एवं 3.376 हेक्टर कुल रकबा 8.353 हेक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु लोक निर्माण विभाग को आवंटित किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन पत्र जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड जावरा जिला रतलाम को भेजा गया।

2/ तहसीलदार, पिपलौदा द्वारा कार्यालयीन पत्र कमांक 1145/रीडर–1/2021 पिपलौदा, दिनांक 23.07.2021 को भूमि के अंतरण हेतु विज्ञप्ति जारी की गई नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

3/ अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा ग्राम शेरपुर, तहसील पिपलौदा, में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर (मद का.का. घास बीड़ शासकीय) भूमि में से रतलाम जिले के रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजनामार्ग (लंबाई 48.26 कि.मी) एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) के निर्माण में वन भूमि आने से वन भूमि के बदले रकबा क्रमशः कुल भूमि 4.977 हेक्टर एवं 3.821 हेक्टर कुल रकबा 8.798 हेक्टर भूमिवन विभाग हस्तांतरित की जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी (नजूल शाखा) एवं सचिव जिला नजूल निर्वतन समिति जिला रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4/ प्रभारी अधिकारी (नजूल शाखा) एवं सचिव जिला नजूल निर्वतन समिति जिला रतलाम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2021 में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम शेरपुर, पटवारी हल्का शेरपुरा, तहसील पिपलौदा, में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर शासकीय भूमि (घास बीड़) में से रतलाम रतलाम जिले के रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग (लंबाई 48.26 कि.मी) एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) के निर्माण में वन भूमि आने से वन भूमि के बदले रकबा क्रमशः कुल भूमि 4.977 हेक्टर एवं 3.821 हेक्टर कुल रकबा 8.798 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई है।

5/ दिनांक 13.09.2021 को आयोजित जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में जाचं/परीक्षण उपरान्त सर्व सहमति से म.प्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 के अध्याय–दो (राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण) की कंडिका 11 में उल्लेखित प्रावधान ग्राम शेरपुर, तहसील पिपलौदा, में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर शासकीय भूमि (घास बीड़) में से रतलाम रतलाम–मोरवनी–उमर–रावटी–बाजना–मार्ग (लम्बाई 48.26 कि.मी.) के लिए 4.977 हेक्टर एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) हेतु 3.821 हेक्टर कुल रकबा 8.798 हेक्टर राजस्व भूमि उक्त उल्लेखित मार्गो के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में ली जाने से वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि का हस्तांतरण वन विभाग म.प्र. शासन भोपाल को किये जाने हेतु जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है।

प्रकरण कमाक 0018/अ–20(3)/2021–22

6/ मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, उज्जैन की मांग अनुसार ग्राम शेरपुर, पटवारी हल्का शेरपुरा, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर शासकीय भूमि (घास बीड़) में से रतलाम रतलाम जिले के रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग (लंबाई 48.26 कि.मी) एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) के निर्माण में वन भूमि आने से वन भूमि के बदले रकबा क्रमशः कुल भूमि 4.977 हेक्टर एवं 3.376 हेक्टर कुल रकबा 8.353 हेक्टर भूमि आवंटन करने हेतुं मांग पत्र प्रस्तुत किया हैं, प्रकरण में जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति/प्रभारी अधिकारी, नजूल जिला रतलाम/अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया उक्त प्रतिवेदनों में कुल रकबा 8.798 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई जो मांग से अधिक है।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति की अनुशंसा एवं अनुविभागीय अधिकारी, जावरा के अभिमत के आधार पर अनुसार ग्राम शेरपुर, पटवारी हल्का शेरपुरा, तहसील पिपलौदा, में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.9800 हेक्टर शासकीय भूमि (घास बीड़) में से रतलाम जिले के रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग (लंबाई 48.26 कि.मी) एवं रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग (लम्बाई 56.00 कि.मी.) के निम
र्ण में वन भूमि आने से वन भूमि के बदले रकबा क्रमशः कुल भूमि 4.977 हेक्टर एवं 3.376 हेक्टर कुल रकबा 8.353 हेक्टेयर भूमि म.प्र नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 के अध्याय–दो की कंडिका (14) के तहत वन विभाग म.प्र. शासन भोपाल को अंतरित की जाती है, जिसकी सीमाएं आबद्व रेखांक में चिन्हित की गई है, जिसे नक्शें में लाल स्याही से अंकित किया गया है। भूमि का उपयोग 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी एवं भूमि जिस प्रयोजन हेतु अंतरित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नही की जा सकेगी।

(कुमार पुरूषोत्तम)
कलेक्टर
जिला रतलाम

पृ0 कमांक/3138/रीडर–1/2021 रतलाम दिनांक 23/09/2021

प्रतिलिपि,

01– आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02– प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03– मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
04– वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
05– अनुविभागीय अधिकारी, जावरा की ओर सूचनार्थ।
05– नजूल अधिकारी रतलाम की ओर सूचनार्थ ।
06– तहसीलदार पिपलोदा आदेश अनुसार अमल दरामद कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
जिला रतलाम